# मध्य प्रदेष ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेषन कार्पोरेषन लिमिटेड, भोपाल

**विषय :– राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की तेरहवीं बैठक, दिनांक 01/01/2011 का कार्यवाही विवरण ।**

———————

मध्य प्रदेश उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना–2004 के अन्तर्गत गठित राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की तेरहवीं बैठक दिनांक 01/01/2011 को अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों एवं अन्य अधिकारियों की सूची संलग्न परिशिष्ट पर है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दुओं पर निम्नानुसार चर्चा हुई एवं निर्णय लिये गये :–

1. **एजेण्डा क्रमांक 1** :– समिति की बारहवीं बैठक दिनांक 30/03/2010 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई ।

2. **एजेण्डा क्रमांक 2** :– समिति की बारहवीं बैठक दिनांक 30/03/2010 के पालन प्रतिवेदन से सदस्य – सचिव द्वारा समिति को अवगत कराया गया ।

3. **एजेण्डा क्रमांक 3** :– उत्पादन प्रारम्भ करने के पष्चात् योजनान्तर्गत पंजीयन हेतु विलम्ब से आवेदन प्रस्तुत करने पर विलम्ब को षिथिल कर इकाईयों के उद्योग निवेष संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत पंजीयन जारी करने बाबत् एजेण्डा प्रस्तुत किया गया। प्रकरणवार निम्नानुसार निर्णय लिए गए –

   (I) **मेसर्स कृष्णा फास्केम लि., औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर, झाबुआ** :– इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन–पत्र/शपथ पत्र एवं उद्योग स्थापनार्थ उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत जारी पंजीयन नियमित किया जावे, परन्तु इकाई को योजनान्तर्गत सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाए।

   **(II)** **मेसर्स कमिंस टेक्नोलॉजीज़ इंडिया लि., देवास** :– इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन–पत्र/शपथ–पत्र एवं उद्योग स्थापनार्थ उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी पर विचारोपरान्त समिति द्वारा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत तथ्यों को समाधानकारक मानकर निर्णय लिया गया कि विलंब को शिथिल किया जावे एवं इकाई को योजनान्तर्गत जारी पंजीयन नियमित किया जावे।

**(III)** **<u>मेसर्स सोनी इस्पात लि., औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर</u>** :– इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन–पत्र/शपथ–पत्र एवं उद्योग स्थापनार्थ उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी पर विचारोपरान्त समिति द्वारा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत तथ्यों को समाधानकारक मानकर निर्णय लिया गया कि विलंब को शिथिल किया जावे एवं इकाई को योजनान्तर्गत जारी पंजीयन नियमित किया जावे।

**(IV)** **<u>मेसर्स मायका प्लाई, न्यू औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप</u>** :– इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन–पत्र/शपथ–पत्र एवं उद्योग स्थापनार्थ उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाएगी।

**(V)** **<u>मेसर्स इन्हर्ट गैसेज प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर</u>** :– इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन–पत्र/शपथ–पत्र एवं उद्योग स्थापनार्थ उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी पर विचारोपरान्त समिति द्वारा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत तथ्यों को समाधानकारक मानकर निर्णय लिया गया कि विलंब को शिथिल करते हुए योजनान्तर्गत पंजीयन जारी किया जावे।

**(VI)** **<u>मेसर्स एम एण्ड बी स्विचगियर्स प्रा.लि. यूनिट–2, सर्वे क्रमांक 211/1, सेक्टर–सी के सामने, मेटलमेन औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड, इन्दौर</u>** :– इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन–पत्र/शपथ–पत्र एवं उद्योग स्थापनार्थ उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाएगी।

**(VII)** **<u>मेसर्स बेनर्स, 11/बी–1, पोलो ग्राउण्ड औद्योगिक क्षेत्र, इन्दौर</u>** :– इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन–पत्र/शपथ–पत्र एवं उद्योग स्थापनार्थ उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाएगी।

(VIII) **<u>मेसर्स खण्डवा ऑयल्स यूनिट–2, (ए यूनिट ऑफ इटारसी ऑयल्स एण्ड फ्लोर्स लि.) ग्राम सिल्टियां, तह. पन्धाना, जिला खण्डवा</u>** :– इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन–पत्र/शपथ–पत्र एवं उद्योग स्थापनार्थ उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाएगी।

(IX) **<u>मेसर्स भारती इन्गॉट्स प्रा.लि., औ.क्षे. पीथमपुर जिला धार</u>** :– इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन–पत्र/शपथ–पत्र एवं उद्योग स्थापनार्थ उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाएगी।

(X) **<u>मेसर्स श्री कामतानाथ ऑयल्स प्रा.लि., मुरैना</u>** :– इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन–पत्र/शपथ–पत्र एवं उद्योग स्थापनार्थ उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाएगी।

(XI) **<u>मेसर्स पारस पोलीफेब प्रा.लि. 101 डी सेक्टर–1 औ.क्षे. पीथमपुर जिला धार</u>** :– इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन–पत्र/शपथ–पत्र एवं उद्योग स्थापनार्थ उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी पर विचारोपरान्त समिति द्वारा तथ्यों को समाधानकारक मानकर निर्णय लिया गया कि इकाई के विलंब को शिथिल करते हुए योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे।

(XII) **<u>मेसर्स भिलाई जे.पी. सीमेन्ट प्लांट, (ए यूनिट ऑफ भिलाई जे.पी. सीमेन्ट लि.), ग्राम बाबूपुर, रघुराज नगर, जिला सतना</u>** :– इकाई द्वारा योजनान्तर्गत विलम्ब से प्रस्तुत आवेदन–पत्र/शपथ–पत्र एवं उद्योग स्थापनार्थ उठाए गए प्रभावी कदमों की जानकारी पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि इकाई का योजनान्तर्गत पंजीयन किया जावे, परन्तु इकाई को सुविधा का लाभ पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के दिनांक से प्राप्त होगा एवं पात्रता अवधि की गणना उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से की जाएगी।

04. <u>एजेण्डा क्रमांक 4</u>:– **मेसर्स कमिंस टेक्नोलॉजीज इंडिया लि., (में कमिंस टर्बो टेक्नोलॉजीस लि. पूर्व नाम टाटा होलसेट लि.) ए.बी. रोड, देवास** का वित्तीय वर्ष 2006–07 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का विस्तार अन्तर्गत उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 15.01.2006 है। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, देवास द्वारा, इकाई के पक्ष में स्थायी पूंजी निवेष रूपये 2237.96 लाख मान्य करते हुए, वर्ष 2006–07 में जमा कर राषि रूपये 2,20,20,524.00 का 75ः रूपये 1,65,15,393.00 की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता हेतु अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब को शिथिल करते हुए इकाई को वर्ष 2006–07 हेतु जमा कर राषि रूपये 2,20,20,524.00 का 75ः रूपये 1,65,15,393.00 (रूपये एक करोड़ पेंसठ लाख पन्द्रह हजार तीन सौ तिरानवे मात्र) उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

05. <u>एजेण्डा क्रमांक 5</u> :– **मेसर्स सोनी इस्पात लिमिटेड,** प्लाट क्र. 805ए, सेक्टर–3, पीथमपुर का वित्तीय वर्ष 2006–07 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 15.09.2005 है। महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पीथमपुर द्वारा, इकाई के लिए योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेष राषि रूपये 2576.96 लाख मान्य करते हुए वर्ष 2006–07 में जमा कर राषि रूपये 4,91,05,789.00 का 75ः रूपये 3,68,29,342.00 की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता हेतु अनुषंसा की गई है।

आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई के द्वारा आलोच्य अवधि में पंजीकृत उत्पाद का उद्योग स्थल पर उत्पादन के अलावा सीधे क्रय–विक्रय भी किया गया है। इकाई द्वारा इस तरह किये गये क्रय–विक्रय की राशि पर उसे योजनान्तर्गत सहायता की पात्रता नहीं आती है अतः इकाई के वर्ष 2006–07 के कर निर्धारण आदेश का पुनः परीक्षण किया जा रहा है। कर निर्धारण आदेश के पुनः परीक्षण के पश्चात् इकाई द्वारा किये गये सीधे क्रय–विक्रय की राशि व उस पर कर निर्धारण करने पर कर राशि में अन्तर आने की संभावना है, जिसके फलस्वरूप इकाई के पंजीकृत उत्पाद हेतु सहायता राशि कम होना संभावित है। अतः समिति द्वारा विचारोपरांत क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब को शिथिल करते हुए इकाई को वर्ष 2006–07 हेतु जमा कर राषि रूपये रूपये 4,91,05,789.00 का 75ः रूपये 3,68,29,342.00 में से 25ः राशि रूपये 92,07,335.00 कम कर कुल राशि रूपये 2,76,22,006.00 उद्योग निवेष संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई। उक्त स्वीकृत राशि में से वर्ष 2005–06 में पात्रता से अधिक स्वीकृत/वितरित राशि रूपये 1,60,400.00 के समायोजन के पश्चात् शेष राशि रू. 2,74,61,406.00 के वितरण हेतु स्वीकृति दी गई।

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण में कर निर्धारण आदेश के परीक्षण उपरान्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर के प्रतिवेदन के आधार पर वर्ष 2006–07 की वास्तविक कर राशि के आधार पर शेष राशि की स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया जावे।

06. <u>एजेण्डा क्रमांक 6</u> :– **मेसर्स पारले एग्रो प्रा.लि.,** 44–46 नवीन औद्योगिक क्षेत्र–2, मण्डीदीप, जिला रायसेन का वित्तीय वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं 2006–07 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 17.06.2004 है। महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मण्डीदीप द्वारा इकाई के पक्ष में, योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेष राषि रूपये 449.74 लाख में से राशि रू. 254.74 लाख मान्य करते हुए इकाई के पक्ष में वर्ष 2004–05, 2005–06 एवं 2006–07 में जमा कर राषि क्रमशः रूपये 41,44,095.00, रूपये 58,26,200.00 एवं रूपये 29,27,315.00 इस तरह कुल जमा कर राशि रूपये 1,28,97,610.00 का 50ः अर्थात् राशि रूपये 64,48,805.00 (रूपये चौसठ लाख अड़तालीस हजार आठ सौ पांच मात्र) की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता हेतु अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई के पक्ष में निम्नानुसार वर्षों के लिए उद्योग निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की गई–

| वर्ष | जमा कर राशि | स्वीकृत उद्योग निवेश संवर्धन सहायता राशि (जमा कर राशि का 50ः) |
|---|---|---|
| 2004–05 | 41,44,095.00 | 20,72,048.00 |
| 2005–06 | 58,26,200.00 | 29,13,100.00 |
| 2006–07 | 29,27,315.00 | 14,63,657.00 |
| **कुल** | **1,28,97,610.00** | **64,48,805.00** |

समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि इकाई का कुल मान्य योग्य स्थायी पूंजी निवेश रू. 254.74 लाख है जो कि राज्य स्तरीय समिति के विचार के लिए निर्धारित न्यूनतम पूंजी निवेश रू. 3.00 करोड़ की सीमा से कम है। अतः इकाई द्वारा इस पूंजी वेष्ठन पर, आगामी वर्षों में क्लेम प्राप्त करने के लिए प्रकरण जिला स्तरीय समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जावें।

7. <u>एजेण्डा क्रमांक 7</u> :– **मेसर्स क्वालिटी वोवेन सेक्स प्रा0लि0,** प्लाट नं. 9, 10 एवं 11 चौरहटा इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, उद्योग विहार, रीवा का वित्तीय वर्ष 2008–09 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 26.03.2008 है। महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रीवा के, निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इकाई के द्वारा स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेष रूपये 1059.80 लाख किया गया है जिसे ट्रायफेक स्तर पर परीक्षण करने पर रू. 1056.66 लाख मान्य किया गया है। महाप्रबन्धक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र रीवा द्वारा वर्ष 2008–09 में जमा कर राषि रूपये 1,10,90,890.00 का 75ः रूपये 83,18,167.00 की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता हेतु अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई को वर्ष 2008–09 हेतु जमा कर राषि रूपये 1,10,90,890.00 का 75ः रूपये 83,18,167.00 (रूपये तेरासी लाख अठारह हजार एक सौ सड़सठ मात्र) उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

8. <u>एजेण्डा क्रमांक 8</u> :– **मेसर्स नेषनल स्टील एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. यूनिट–2,** ग्राम सेजवाया (घाटाबिल्लोद) तहसील व जिला धार का वित्तीय वर्ष 2006–07 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का विस्तार एवं डायवर्सिफिकेशन हेतु उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 04.11.2004 है। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र धार द्वारा, निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इकाई के पक्ष में योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेष राषि रूपये 9897.19 लाख मान्य करते हुए वर्ष 2006–07 में जमा कर राषि रूपये 3,99,34,791.00 का 75ः रूपये 2,99,51,093.00 की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता हेतु अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई को वर्ष 2006–07 हेतु जमा कर राषि रूपये 3,99,34,791.00 का 75ः रूपये 2,99,51,093.00 (रूपये दो करोड़ निन्यानवे लाख इक्यावन हजार तेरानवे मात्र) उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

9. <u>एजेण्डा क्रमांक 9</u> :– **मेसर्स नेषनल स्टील एण्ड इण्डस्ट्रीज लि. यूनिट–2**, ग्राम सेजवाया (घाटाबिल्लोद) तहसील व जिला धार का वित्तीय वर्ष 2007–2008 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 4.11.2004 है। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र धार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, इकाई के पक्ष में योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेष राषि रूपये 9897.19 लाख मान्य करते हुए वर्ष 2007–08 में जमा कर राषि रूपये 6,08,32,417.00 का 75ः रूपये 4,56,24,300.00 की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता हेतु अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई को वर्ष 2007–08 हेतु जमा कर राषि रूपये 6,08,32,417.00 का 75ः रूपये 4,56,24,300.00 (रूपये चार करोड़ छप्पन लाख चौबीस हजार तीन सौ मात्र) उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

10. <u>एजेण्डा क्रमांक 10</u> :– **मेसर्स डिलाईट डेयरी लिमिटेड,** ग्राम खाटाम्बा, जिला देवास, का वित्तीय वर्ष 2008–09 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 15.09.2007 है। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र देवास द्वारा, इकाई के लिए योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेष राषि रूपये 474.20 लाख मान्य करते हुए वर्ष 2008–09 में जमा कर राषि रूपये 74,83,860.00 का 50ः रूपये 37,41,930.00 तथा पूर्व वर्ष 07–08 के लिए

कर निर्धारण आदेश (इकाई को शेष बकाया निरूपित कर रू. 35,97,145.00 का 50: राशि रू. 17,98,572.00 की पात्रता आती है किन्तु पूर्व वर्ष 2007–08 में राशि रू. 16,25,118.00 स्वीकृत की गई थी) के आधार पर पात्रतानुसार शेष सहायता राशि रू. 1,73,454.00 उद्योग निवेष संवर्धन सहायता की स्वीकृति हेतु अनुषंसा की गई है।

अतः पूर्व वर्ष 07–08 हेतु समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई को वर्ष 2008–09 हेतु जमा कर राषि रूपये 74,83,860.00 का 50: रूपये 37,41,930.00 (रूपये सैंतीस लाख इकतालीस हजार नौ सौ तीस मात्र) एवं वर्ष 2007–08 के कर निर्धारण के अनुसार जमा राशि के आधार पर शेष राशि रू. 1,73,454.00 (रूपये एक लाख तेहत्तर हजार चार सौ चौवन मात्र) की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

11. **एजेण्डा क्रमांक 11 :– मेसर्स भण्डारी फॉईल्स एण्ड ट्यूब्स लि0 (यूनिट–3),** डी.–1, डी–4 औद्योगिक क्षेत्र क्र. 1 देवास का वित्तीय वर्ष 2008–09 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 26.03.2006 है। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, देवास द्वारा इकाई के पक्ष में योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेष राषि रूपये 1154.25 लाख मान्य करते हुए वर्ष 2008–09 में जमा कर राषि में में से इन्पुट टैक्स रिबेट कम करने के पश्चात् रूपये 1,88,71,667.00 का 50: रूपये 94,35,833.00 की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता हेतु अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब को शिथिल करते हुए इकाई को वर्ष 08–09 हेतु जमा कर (प्ज्त कम करने के पश्चात्) राषि रूपये 1,88,71,667.00 का 50: रूपये 94,35,833.00 (रूपये चौरान्वे लाख पैंतीस हजार आठ सौ तैंतीस मात्र) की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

12. **एजेण्डा क्रमांक 12 :– मेसर्स आई.पी.एफ. विक्रम इंडिया लि., यूनिट–1,** पीथमपुर का वित्तीय वर्ष 2008–09 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का विस्तार अन्तर्गत उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 5.01.2009 है। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पीथमपुर द्वारा, निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार इकाई के पक्ष में, योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेष राषि रूपये 1060. 91 लाख मान्य करते हुए वर्ष 2008–09 में जमा कर राषि रूपये 1,34,06,057.00 का 75: रूपये 1,00,54,543.00 की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता हेतु अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब को शिथिल करते हुए इकाई को वर्ष 2008–09 हेतु जमा कर राषि रूपये 1,34,06,057.00 का 75ः रूपये 1,00,54,543.00 (रूपये एक करोड़ चौवन हजार पांच सौ तेतालीस मात्र) उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

13. **<u>एजेण्डा क्रमांक 13</u> :– मेसर्स नर्मदा एक्सट्रूजन लिमिटेड,** 71, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर–1, पीथमपुर का वित्तीय वर्ष 2007–08 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 30.09.2006 है। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पीथमपुर द्वारा, निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, इकाई के पक्ष में योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेष राषि रूपये 597.50 लाख मान्य करते हुए वर्ष 2007–08 में जमा कर राषि रूपये 93,96,170.00 का 50ः रूपये 46,98,085.00 की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता हेतु अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत क्लेम आवेदन प्रस्तुत करने में हुए विलंब को शिथिल करते हुए इकाई को वर्ष 07–08 हेतु जमा कर राषि रूपये 93,96,170.00 का 50ः रूपये 46,98,085.00 (रूपये छियालीस लाख अन्ठान्वे हजार पचासी मात्र) उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

14. **<u>एजेण्डा क्रमांक 14</u> :– मेसर्स कृष्णा फॉस्केम लिमिटेड,** औद्योगिक क्षेत्र मेघनगर, झाबुआ का वित्तीय वर्ष 2005–2006 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई के प्रकरण में उसके द्वारा ब्याज अनुदान की सुविधा का लाभ लिये जाने तथा बाद में उसे वापस किये जाने के परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया।

समिति द्वारा इकाई के प्रकरण पर विचार कर निर्णय लिया गया कि इकाई द्वारा सर्वप्रथम उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन हेतु दिनांक 09.01.2007 को आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था। तत्पश्चात् नियमों में संशोधन के परिप्रेक्ष्य में इकाई द्वारा ब्याज अनुदान की सुविधा के लिए भी आवेदन किया गया। इकाई द्वारा ब्याज अनुदान हेतु आवेदन जिस समय प्रस्तुत किया गया था, उस समय जारी नियमों/निर्देशों के अनुसार इकाई को उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के साथ ब्याज एवं लागत पूंजी अनुदान की भी पात्रता थी। तत्पश्चात् नियमों में पुनः संशोधन के फलस्वरूप दिनांक 24.10.2007 के पूर्व उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों को ब्याज अनुदान अथवा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता में से किसी एक सुविधा की पात्रता हुई। प्रश्नाधीन इकाई का उत्पादन दिनांक 24.10.2007 के पूर्व का होने के कारण इकाई द्वारा प्राप्त की गई ब्याज अनुदान की सुविधा को वापस करते हुए उद्योग निवेश संवर्धन सहायता सुविधा का विकल्प लिया गया है। समिति द्वारा विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया कि चूंकि इकाई द्वारा तत्समय प्रचलित नियमों

के अनुसार ब्याज अनुदान की सुविधा के लाभ हेतु आवेदन किया गया था परन्तु बाद में नियमों में संशोधन के फलस्वरूप पात्रता समाप्त होने के पश्चात सुविधा वापस करते हुए निवेश संवर्धन सहायता हेतु आवेदन किया गया है अतः इकाई को निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता आती है।

इकाई के वर्ष 2005–06 के क्लेम प्रकरण पर विचार करते समय समिति के समक्ष यह तथ्य सामने आया कि इकाई का उत्पादन दिनांक 19.12.2005 है तथा इकाई के पक्ष में निवेश संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत पंजीयन संबंधी आवेदन विलम्ब से (दिनांक 09.01.2007 को) किये जाने के आधार पर इकाई को सुविधा दिनांक 09.01.2007 से शेष अवधि के लिए मिल सकेगी। उक्त परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2005–06 में इकाई को योजनान्तर्गत सुविधा का लाभ प्राप्त नहीं हो सकेगा।

अतः इकाई के वर्ष 05–06 के क्लेम प्रकरण पर समिति द्वारा विचार नहीं किया गया।

15. <u>एजेण्डा क्रमांक 15</u> :– **मेसर्स व्ही.आर.एस. फूड्स लिमिटेड,** ए.बी.सी.–2, औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर (घिरौंगी), जिला भिण्ड, का वित्तीय वर्ष 2007–08 का क्लेम प्रकरण प्रस्तुत किया गया। इकाई का उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक 01.03.2005 है। महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मालनपुर द्वारा, इकाई के पक्ष में योजनान्तर्गत स्थिर अस्तियों में पूंजी निवेष की राषि रूपये 1442.52 लाख मान्य करते हुए वर्ष 2007–08 में जमा कर राषि रूपये 2,15,15,170.00 का 75ः रूपये 1,61,36,378.00 की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता हेतु अनुषंसा की गई है।

समिति द्वारा विचारोपरांत इकाई को वर्ष 2007–08 हेतु जमा कर राषि रूपये 2,15,15,170.00 का 75ः रूपये 1,61,36,378.00 (रूपये एक करोड़ इकसठ लाख छत्तीस हजार तीन सौ अठहत्तर मात्र) की उद्योग निवेष संवर्धन सहायता, स्वीकृत की गई।

16. <u>अतिरिक्त एजेण्डा क्रमांक 01</u> :– **मेसर्स यूनिवर्सल केबिल्स लि., बिरला विकास, सतना का वित्तीय वर्ष 2007–08** का क्लेम प्रकरण पुनः प्रस्तुत किया गया। राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 30.03.2010 में इकाई के प्रकरण पर निर्णय लिया गया था कि तकनीकी उन्नयन के पूर्व इकाई के स्थिर पूंजी निवेष का 50ः स्थिर पूंजी निवेष (तकनीकी उन्नयन हेतु) जिस दिनांक को होगा, उसी दिनांक से इकाई को योजनान्तर्गत सुविधा का लाभ दिया जाए व इकाई की पात्रता अवधि की गणना इकाई के तकनीकी उन्नयन हेतु उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक 29.03.2007 से की जाए।

2. इकाई द्वारा राज्य स्तरीय समिति के उक्त निर्णय के विरूद्ध राज्य शासन के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। इकाई की अपील पर वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक एफ 20–10/2010/बी–ग्यारह, दिनांक 24.12.2010 से राज्य स्तरीय समिति द्वारा दिनांक 30.03.2010 को लिए गए निर्णय को निरस्त किया जाकर निर्देश दिए गए कि, उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना के प्रावधानों तथा योजना के लिए अपीलार्थी इकाई व ट्रायफेक के बीच निष्पादित अनुबंध के उल्लिखित प्रावधान के सन्दर्भ में इकाई के प्रकरण पर नए सिरे से विचार किया जाकर निर्णय लिया जाए ।

राज्य शासन के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तरीय समिति द्वारा उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना–2004 की मूल कंडिका क्रमांक 3.8, कंडिका क्रमांक 3.9.4 एवं शीर्ष स्तरीय समिति के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में हुए अनुबंध की कंडिका क्रमांक 2 के परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया। उक्त कंडिकाएँ एवं निर्णय इस प्रकार हैं :–

<u>कंडिका क्रमांक 3.8</u> :–

विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन/आधुनिकीकरण से तात्पर्य है ऐसी इकाई जिसमें पूर्व में किये गये स्थायी पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत, न्यूनतम रूपये 5.00 करोड़ के निवेश से, विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन कर क्षमता विस्तार/नवीन आइटम का उत्पादन/तकनीकी उन्नयन किया हो एवं जिसने मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से इस योजना अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त किया हो व इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए स्थिर अस्तियों में रूपये 5.00 करोड़ या उससे अधिक पूँजी वेष्ठन किया हो एवं जिसने 01 अप्रैल 2004 को या उसके पश्चात् लेकिन दिनांक 01/04/2009 के पूर्व विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो।

<u>कंडिका क्रमांक 3.9.4</u> :–

''स्थायी पूंजी निवेश की गणना हेतु, 1.00 करोड़ या उससे अधिक की, परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 3 वर्ष तक किए गए व्यय सम्मिलित किए जावेंगे।''

<u>शीर्ष स्तरीय समिति के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इकाई एवं ट्रायफेक के मध्य हुए अनुबंध की कंडिका क्रमांक 2</u> :–

जींज जीम च्तवरमबज ूपसस इम हपअमद जीम `जंजने वि ष्डम्ळ। च्त्व्श्रम्ब्ज्ष् जीम बवउचंदल इल ूल वि जीपे ष्डम्ळ। च्त्व्श्रम्ब्ज्ष् ूपसस पदअमेज त्े 61ण्00 ब्तवतमे ;।चचतवगण्द्ध पद पिगमक `मजे वित जीम चतवरमबज ूपजीपद

जपउम `चंद वि 3 लमंते ूपजी मििमबज तिवउ जीम कंजम वि बवउउमदबमउमदज वि ब्वउउमतबपंस च्तवकनबजपवद पद वतकमत जव बवउचंदल वित हतंदजपदह वि ष्डम्ळ। च्त्व्श्रम्ब्ज्ष् `जंजने इल जीम ळवअमतदउमदज `दक जीम `ककपजपवदंस

इमदमपिजे ;पद ंककपजपवद जव चतमअंपसपदह चवसपबल तनसमेद्ध ूपबी ंतम हपअमद अपकम समजजमत छवण ैध्थ्.20. 31ध05ध्ठध्म्समअमद कंजमक 28ण02ण2006ण

नियमों में उल्लेखित उक्त प्रावधानों, अनुबंध की कंडिका क्रमांक 2 एवं कंडिका 3.8 के प्रकाश में राज्य स्तरीय समिति द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि मेसर्स यूनिवर्सल केबिल्स लिमिटेड का स्थापित क्षमता हेतु स्थायी पूंजी निवेश रू. 119.02 करोड़ है। तकनीकी उन्नयन परियोजनान्तर्गत इकाई द्वारा रूपये 62.75 करोड़ स्थायी पूंजी निवेश किया गया है जो कि स्थापित क्षमता हेतु किये गये स्थिर पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत से अधिक है। इकाई द्वारा उत्पादन दिनांक तक रूपये 45.81 करोड़ पूंजी निवेश कर लिया गया था, जो कि तत्समय प्रभावशील कंडिका 3.8 में उल्लेखित रूपये 5.00 करोड़ से अधिक है। अतः इकाई को तकनीकी उन्नयन परियोजनान्तर्गत किए गए मान्य योग्य पूंजी निवेश रूपये 62.75 करोड़ पर उत्पादन दिनांक 29.03.2007 से दिनांक 28.03.2014 तक निवेश संवर्धन सहायता की पात्रता आती है। तद्नुसार इकाई के पक्ष में वर्ष 2007–08 हेतु जमा कर राशि रूपये 3,49,25,151.00 की 75 प्रतिशत राशि, रूपये 2,61,93,863.00 (रूपये दो करोड़ इक्सठ लाख तेरानवे हजार आठ सौ तिरेसठ मात्र) की निवेश संवर्धन सहायता स्वीकृत की जाती है।

उपस्थित सदस्यगण को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक समाप्त हुई।

**(पी.के. दाश)**
**प्रबंध संचालक**
म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट
फेसिलिटेषन कार्पोरेषन लिमिटेड
एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय
निवेष सवंर्धन साधिकार समिति

**(सत्यप्रकाष)**
**अपर मुख्य सचिव**
मध्य प्रदेष शासन
वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग
एवं अध्यक्ष, राज्य स्तरीय
निवेष संवर्धन साधिकार समिति

परिशिष्ट

# राज्य स्तरीय उद्योग निवेश संवर्धन सहायता समिति की तेरहवीं बैठक दिनांक 01/01/2011 मे उपस्थित अधिकारियों की सूची

———————————

| क्रमांक | नाम | पदनाम एवं विभाग |
|---|---|---|
| 1 | श्री पी.के. दाश | प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.आई.डी.सी एवं एम.पी. ट्रायफेक |
| 2 | श्री विनोद सेमवाल | उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, उद्योग संचालनालय |
| 3 | श्री शैलेन्द्र सिंह | आयुक्त, वाणिज्यिक कर इन्दौर |
| 4 | श्री सत्यानंद | अपर सचिव, वित्त विभाग |
| **अन्य उपस्थित अधिकारी :–** | | |
| 5 | श्री व्ही.के. बरोनिया | कार्यकारी संचालक, एम.पी. ट्रायफेक |
| 6 | श्री राघवेन्द्र दुबे | उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, भोपाल |